

IS 15700:2005



संवोत्तम प्रमाणित

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त

आफिस काम्प्लेक्स, केशवपुरम् (यो0सं0-1) कल्याणपुर, कानपुर  
E-mail circlefour@yahoo.com (Off.)/Fax-0512-2570982

भारतीय मानक ब्यूरो

IS



पत्रांक

51 / एस0ई0-4 / एम-2 / 02

दिनांक 08/11/2014

### कार्यालय आदेश

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर के सेक्टर-6बी में स्थित 10.00× 20.00 मी0 के 59 नग, 9.00× 18.00 मी0 के 69 नग, 7.00× 15.50 मी0 के 20 नग एवं 5.50× 11.00 मी0 के 70 नग भूखण्डों को क्रमशः 128/200 प्रकार, 63/162 प्रकार, 42/108 प्रकार एवं 29/60 प्रकार के भवनों में परिवर्तन हेतु अधिशासी अभियन्ता नि0ख0-18, कानपुर के पत्रांक 2388/वाई-5/230 दि0 03.12.13 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं वास्तुविद नियोजक इकाई-4, लखनऊ के पत्रांक 2047/ई0-4/आगरा दिनांक 25.11.13 द्वारा प्राप्त टाइप डिजाइन के अनुसार वृत्त कार्यालय के पत्रांक 3453/एस0ई0-4/डब्लू-1/138 दिनांक 03.12.13 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर वास्तुविद नियोजक इकाई-4, लखनऊ के पत्रांक 2127/इकाई चतुर्थ/दिनांक 06.12.13 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवारा आयुक्त (म0) के कार्यालय आदेश संख्या-1261/वि0प्रा0-10(ख) दिनांक 10.09.1993 के अनुसार स्वीकृत विन्यास में अंकित भूखण्डों को बिना किसी संशोधन किये हुए भूखण्डों के अनुरूप श्रेणियों के भवन निर्मित किये जा सकते हैं। उक्त के क्रम में उपरोक्त योजना के सेक्टर-6बी में स्थित 10.00× 20.00 मी0 के 59 नग, 9.00× 18.00 मी0 के 69 नग, 7.00× 15.50 मी0 के 20 नग एवं 5.50× 11.00 मी0 के 70 नग आवासीय भूखण्डों पर क्रमशः 128/200 प्रकार, 63/162 प्रकार, 42/108 प्रकार एवं 29/60 प्रकार के भवनों में परिवर्तन किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।

पृ0सं0

51 / SE-4/M-2/02

दिनांक

08/11/2014

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वास्तुविद नियोजक इकाई-चतुर्थ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि काम्प्लेक्स इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता नि0ख0-18, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
3. अवर अभियन्ता (तक0) चतुर्थ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
4. सम्बन्धित पत्रावली डब्लू-1 हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता